

आमजन को पेयजल की आपूर्ति की समीक्षा पर मुख्यमंत्री स्वयं ध्यान देंगे

बजट घोषणाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल ने पेयजल व सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को विभिन्न विभागों की वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विकास कार्यों एवं योजनाओं की क्रियान्विति में संबंधित अधिकारी द्वारा लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये।

जयपुर, 15 अप्रेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न विभागों की वित्तीय वर्ष 2024-25 को बजट घोषणाओं कीप्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित किया जाए। विकास कार्यों एवं योजनाओं की क्रियान्विति में संबंधित अधिकारी एवं संवेदक द्वारा लापरवाही करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए समयबद्ध भू-आवंटन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। पेयजल की आपूर्ति के बारे में मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, इसलिये यह माना जा रहा है कि इसकी समीक्षा पर वे स्वयं ध्यान देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को

■ **मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित किया जाये। इस कार्य में लापरवाही करने पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये।**

पर्याप्तपेयजल आपूर्ति और किसानों को सिंचाई हेतु पानी सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 सहित विभिन्न कार्यों में देरी ना हो, नियमित मॉनिटरिंग करके कार्यों की प्रतिदिन की प्रगति की समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को पेयजल पाइपलाइन एवं सीवर लाइन को बिछाने के कार्य में परस्पर बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी

निर्देशित किया, जिससे सड़कों को बार-बार क्षति नहीं पहुंचे और राजस्व की हानि भी ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने ‘कॉल बिफोर यू डिग’ ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से संबंधित विभाग और एजेंसियां आपसी तालमेल के साथकार्य करते हैं और सड़कों को कम से कम क्षति होती है। उन्होंने कहा कि पंचपदरा रिफाइनरी (बालोतरा) से निकलने वाले डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स आधारित उद्योगों के लिए राजस्थान पेट्रो ज़ोन की स्थापना

में गति लाई जाए। साथ ही, ऊर्जा विभाग की लंबित घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने आम उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए विद्युत संबंधी कार्यों की दूरे निवृत्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को अविलम्ब लंबित बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, जल संसाधन, सिंचित क्षेत्र विकास, खेल एवं युवा मामलात, पर्यटन एवं वित्त विभाग सहित विभिन्न विभागों की लंबित घोषणाओं की समीक्षा की।

बैठक में संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

‘आप बोइंग कम्पनी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) खबर दी कि चीन ने एयरलाइनों को बोइंग विमानों की डिलीवरी रोकने का भी आदेश दिया है। ब्लूमबर्ग ने लोगों के हवाले से बताया कि बीजिंग ने अपनी विमान कंपनियों को कहा है कि हवाई जहाज में काम आने वाले सामान व पार्ट्स अमेरिका की कंपनियों से खरीदना बंद करें।

इस बीच, एक अन्य समाचार एजेंसी, एएफजी ने इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए बोइंग और चीन के विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है।

अमेरिकी आयात पर बीजिंग के रैसिप्रोकल टैरिफ के कारण अमेरिका में निर्मित हवाई जहाज व उनके पार्ट्स खरीदना काफी महंगा सौदा हो गया है।

ब्लूमबर्ग ने कहा कि चीनी सरकार लीज पर बोइंग जैट लेने वाली और उच्च लागत का सामना करने वाली विमान कंपनियों की मदद करने पर विचार कर रही है।

ट्रम्प द्वारा शुल्कों की बौछार ने विश्व बाजारों को हिला दिया है, तथा सहयोगियों और विरोधियों, दोनों के

साथ कूटनीतिक व्यवहार को उलट दिया है। अस्थिर स्वभाव वाले अमेरिकी नेता ने पिछले सप्ताह आगे की बढ़ोतरी पर अचानक रोक लगाने की घोषणा की, लेकिन बीजिंग को कोई तत्काल राहत नहीं दी। अमेरिका ने चीन पर लगाये गये टैरिफ की सूची से चीन में निर्मित स्मार्ट फोन, सैमिकण्डक्टरस व कम्प्यूटर्स को निकास कर, चीन को राहत पहुंचाने की कोशिश जरूर की है।

मुर्शिदाबाद दंगा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश देने और हिंसा भड़काने वाले भड़काऊ भाषण देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अशांति के दौरान तीन लोगों की जानें गईं। कलकत्ता उच्च न्यायालय पहले ही हस्तक्षेप करते हुए मुर्शिदाबाद जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केन्द्रीय बलों की तैनाती का आदेश दे चुका है।

मानसून में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जानकारी दी है। उन्होंने कहा, “भारत में चार महानें (जून सेसितंबर) के मानसून के मौसम में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है और कुल वर्षा 87 सेंटीमीटर के दीर्घावधि औसत का 105 प्रतिशत रहने का अनुमान है।”

इसके अलावा आईएमडी प्रमुख ने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में इस बारे मानसून के दौरान अल नीनो जैसी स्थिति बनने की संभावना नहीं है। बता दें कि इस बार मानसून के दौरान सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान देश के लिए एक बड़ी राहत है।

अमरनाथ यात्रा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के दौरान श्रद्धालुओं को दोनों रास्तों के लिए अलग-अलग रंग की पर्ची मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। श्रद्धालुओं का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए हैल्थ सर्टिफिकेट भी जरूरी है। हेल्थ सर्टिफिकेट 8 अप्रैल या उसके बाद का होना चाहिए।

नई दिल्ली, 15 अप्रैला। नए वक्फ कानून पर देशभर में जारी सियासी गमहिंश के बीच, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट वक्फ (संशोधन) अधिनियम2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है।

इस कानून के खिलाफ एआईएम आईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी समेत कई बड़े नेताओं और संगठनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन शामिल हैं, ने अब तक इस मामले में 10 याचिकाओं को सुनवाई के लिए वक्फ बोर्ड (याचिकाओं के लिए वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को कई नेताओं ने चुनौती दी है। ओवैसी के

राम मंदिर ट्रस्ट को धमकी भरा ई-मेल, जांच शुरू

अयोध्या, 15 अप्रैला। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले संदिग्ध मेल की जांच तेज कर दी गयी है। सुरक्षा एजेंसियों के अलावा, राम मंदिर ट्रस्ट की आई.डी. टीम भी इस मेल की जांच करने में जुटी है।

ट्रस्ट के सूत्रों के अनुसार, सोमवार की रात रामजन्मभूमि ट्रस्ट के मेल पर धमकी भरा मेल आया था। ट्रस्ट ने रामजन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है, हालांकि श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तथा पुलिस व सुरक्षा से जुड़े अधिकारी इसको लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट ने इतना जरूर कहा है कि मंदिर की सुरक्षा अभेद्य है, परिसर के अंदर घुसपैठ संभव नहीं है। मेल के जरिये तमिलनाडु के एक व्यक्ति की ओर से राम मंदिर की सुरक्षा के प्रति आगाह किया गया है। श्रीरामजन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य डा. अनिल मिश्रा ने बताया कि मेल की जांच ट्रस्ट की आई.डी. टीम कर रही होगी। उन्हें कुछ नहीं पता है। परिसर की सुरक्षा को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर परिसर की सुरक्षा अभेद्य है। आधुनिक उपकरणों का प्रयोग सुरक्षा के लिये किया जाता है। उन्होंने बताया कि परिसर के लिए कोई खतरा न हो, इसके इंतजाम प्रदेश सरकार ने कर रखे हैं।

सलमान को धमकी, आरोपी मयंक पंड्या गिरफ्तार

मुंबई, 15 अप्रैला। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सलमान खान को कथित रूप से धमकी भरा संदेश भेजने वाला आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर है। पुलिस ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी। पुलिस ने धमकी भरा संदेश मिलने के बादद्व गुजरात के वडोदरा से मयंक पंड्या (26) को हिरासत में लिया। आरोपी ने सलमान

■ **पुलिस ने कहा मुम्बई यातायात पुलिस के वॉट्सअप लिंक पर धमकी भेजने वाला आरोपी मयंक मानसिक रूप से अस्थिर है।**

को वॉट्सअप के जरिए कथित रूप से जान से मारने की धमकी दी थी।

अधिकारियों ने कहा कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस विभिन्न कोणों से मामले को जांच कर रही है।

सूत्रों ने कहा कि पांड्या ने मुंबई यातायात पुलिस के वॉट्सअप हेल्पलाइन पर भेजे धमकी भरे संदेश में कहा 'मम तुम्हारे घर में घुसेंगे और तुम्हें मार देंगे' और कहा कि सलमान खान की कार में भी बम लगा दिया गया है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बदलाव सुनिश्चित है। अगले चुनावों में, बिहार भाजपा तथा उसके अवसरवादी गठबंधन से मुक्त हो जायेगा।"

खड़गो, जो राजस्वभा में विपक्ष के नेता भी हैं, ने दावे के साथ कहा कि युवा, किसान, मजदूर, अति पिछड़े वर्ग तथा समाज के अन्य सभी वर्ग राज्य में “महागठबंधन” सरकार चाहते हैं।

इस बीच, पत्रकारों से बात करते हुये, आरजेडी नेता यादव ने कहा,

‘डीजीपी झुंझुनूं, प्रतापगढ़ की सीसीटीवी हार्ड डिस्क अपने कब्जे लें’

राज्य मानवाधिकार आयोग ने हिरासत में मौत की घटनाओं का स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया

जयपुर, 15 अप्रैला। राज्य मानवाधिकार आयोग ने झुंझुनूं और प्रतापगढ़ जिले में पुलिस हिरासत में मौत के मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही, आयोग ने दोनों जिलों के मजिस्ट्रेट को कहा है कि मामले में जांच के लिए एसडीएम, डिप्टी सीएमएचओ, पुलिस निरीक्षक और चिकित्सक की टीम बनाकर दोषियों के खिलाफ जांच कराए। वहीं, आयोग ने डीजीपी को कहा है कि वे अपने स्तर पर दोनों स्थानों के सीसीटीवी फुटेज की हार्ड-डिस्क अपने कब्जे में लें। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश मामले में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए दिए।

आयोग ने गृह सचिव, डीजीपी और वित्त सचिव को कहा है कि वे अपने स्तर पर आदेश जारी करें कि हर सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग को प्रत्येक वर्ष प्रति माह के लिए आरक्षित रखा जाए और चिकित्सक की टीम बनाकर दोषियों के खिलाफ जांच कराए। वहीं, आयोग ने डीजीपी को कहा है कि वे अपने स्तर पर दोनों स्थानों के सीसीटीवी फुटेज की हार्ड-डिस्क अपने कब्जे में लें। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश मामले में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए दिए।

खड़गो की पहल पर, आर.जे.डी. की टीम ने...

“हमारी चर्चा बहुत सकारात्मक रही। कांग्रेस और आजेडी 17 अप्रैल को वामपंथी दलों तथा वीआईपी सहित, गठबंधन के अन्य दलों के साथ पटना में मीटिंग करेंगे। हम पूरी तरह तैयार हैं। हम बिहार को आगे बढ़ाने के लिये कटिबद्ध हैं।” उन्होंने केन्द्र की भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया।

आरजेडी नेता ने कहा, “हम

(जनता से संबंधित) मुझे पर चुनाव लड़ेंगे। हम सब का दायित्व है कि हम जनता के बीच जायें तथा लोगों को सरकारकी खामियां बतायें।"

इस प्रश्न, कि क्या वे “महागठबंधन” के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, के उत्तर में उन्होंने कहा, “इस बिन्दु पर हम बैठकर चर्चा करेंगे।” बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुये, उन्होंने कहा, “नीतीश जी हाइजैक किये जा चुके हैं। अमित शाह जी ने कहा

था कि चुनाव उनके (कुमार) नेतृत्व में लड़ा जायेगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। इस बार, बिहार में एनडीए सरकार नहीं बनायेगा। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने है।

दिन भर गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कम्पनी बनाई गई थी तथा एजेएल की सम्पत्तियां यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दी गई थीं, उस समय डॉ. सुब्रमन्यम स्वामी ने गांधी परिवार के खिलाफ एक केस दायर किया था। ज्ञातव्य है कि राहुल तथा सोनिया गांधी यंग इंडियन के बड़े शेयर होल्डर थे। इस कम्पनी की सम्पत्तियों की कीमत 2000 करोड़ रु. से अधिक है।

वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि मोदी और शाह की सोच व मानसिकता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस चार्जशीट का एकमात्र मतलब राहुल गांधी के लिये परेशानियां खड़ी करना है।

कर्नाटक का पूर्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) दो... कुछ लोगों को अपनी जान कुर्बान करने दी... हर शहर में आठ से दस मौतें होनी चाहिए, जैसे संदेश देकर वह लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। साथ ही उसने कहा था कि पोस्टर और याचिकाओं से कोई मदद नहीं मिलेगी, केवल विनाश ही होगा। वीडियो बायरल होने के बाद कर्नाटक सहित अन्य क्षेत्रों में आक्रोश फैल गया था। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों ने हिंसा भड़काने वाले बयान की कड़ी निंदा की थी।

‘जजों को महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में अनुचित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए’ सुप्रीम कोर्ट की इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार और नसीहत

नयी दिल्ली, 15 अप्रैला। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि न्यायाधीशों को महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से जुड़े मामलों में अनुचित टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए।

न्यायमूर्ति बी आर गवंई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 17 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश (जिसमें दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को जमानत देते समय की गई टिप्पणी) पर स्वतः संज्ञान सुनवाई करते हुए आपति जतायी और नसीहत दी। शीर्ष अदालत

ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की टिप्पणियों पर आपति जताई, जिन्होंने दुष्कर्म के एक आरोपी को जमानत देते समय टिप्पणी की थी कि पीड़िता ने 'खुद ही मुसीबत को आमंत्रित किया और इसके लिए वह जिम्मेवार है।'

पीठ (शीर्ष अदालत) ने कहा, इस उच्च न्यायालय (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) में क्या हो रहा है? अब उसी उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश ने ऐसी बातें कही हैं... हां, जमानत दी जा सकती है। लेकिन यह

क्या बात हुई कि उसने खुद ही मुसीबत को आमंत्रित किया।

इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐसी टिप्पणी की थी, जिससे पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया था। हाईकोर्ट के एक जज ने कहा था कि एक नोबलिंग के रत्नों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिस के नीचे खींचने का प्रयास करना दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं है।

पीठ ने 15 अप्रैल को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जमानत देना

न्यायाधीश का विवेकाधिकार है, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है, लेकिन शिकायतकर्ता के खिलाफ इस तरह की अनुचित टिप्पणियों से बचना चाहिए।

पीठ ने इस साल मार्च में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें दिसंबर 2024 में दिल्ली के हौज खास के एक बार में मिली एक महिला के कथित दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी को जमानत दी गई थी।

बहराइच में बस ने ऑटो को टक्कर मारी

बहराइच, 15 अप्रैला। उत्तर प्रदेश में बहराइच के पयागपुर क्षेत्र में मंगलवार दोपहर तेज रफ्तार डबल डेकर बस की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा में सवार दो मासूम बच्चों समेत सात लोगों की मौत हो गयी जबकि दस अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये।

पुलिस सूत्रों ने बताया हजूरपुर क्षेत्र निवासी 16 लोग एक रिसैशन में शामिल होने के लिये ऑटो रिक्शा पर सवार होकर जा रहे थे कि रास्ते में इम्लिया के पास तेज रफ्तार बस ने ऑटो को ठोकर मार दी।

इस हादसे में आटो रिक्शा के परखच्चे उड़ गये और सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गये।